



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना नवाबगंज

दिनांक :- 28.09.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं-163/24 धारा -379/411 भादवि व मु0अ0सं-200/24 धारा -305/331(4)/317(2) का सफल अनावरण कर चोरी मे शामिल 02 अभियुक्तगण को चोरी किये गये माल सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-163/24 धारा -379/411 भादवि व मु0अ0सं-200/24 धारा-305/331(4)/317(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1.सुधाकर राठौर पुत्र महेश राठौर 2. कृष्णा कुमार उर्फ मटरु पुत्र भूरे गिहार को चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

- 1.सुधाकर राठौर पुत्र महेश राठौर निवासी मोहल्ला नेहरू नगर थाना जैथरा जिला एटा ।
2. कृष्णा कुमार उर्फ मटरु पुत्र भूरे गिहार निवासी शास्त्री नगर थाना जैथरा जिला एटा ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक- 27.06.2024 को आवेदक श्री राजीव कुमार पुत्र दाताराम निवासी कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा स्वयं की मोटर साइकिल में टंगे थैले में रखे 175000/- रुपये व अन्य कागजात चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 163/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था तथा दिनांक -07.08.2024 को आवेदक श्री सुदेश कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी सलेमपुर त्योंरी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा अज्ञात चोरो द्वारा रात्रि मे वादी के घर से एक अंगूठी सोने की, 01 कमर बन्द चांदी , पायल चांदी 02 जोड़ी, 03 जोड़ी बच्चों की पायल चांदी की, नगद करीब 20 हजार रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 200/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। जिसके क्रम मे दिनांक -27.09.2024 को उपरोक्त दोनो अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए 02 नफर अभियुक्तगण को चोरी गये माल सहित गिरफ्तार किया गया तथा चोरी गये माल की बरामदगी के आधार पर दोनो अभियोग मे क्रमश - 411 भादवि व 317(2) बीएनएस की बढोतरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - दौराने पूछताछ अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि साहब कुछ दिन पहले हम दोनो ने नेहरू कालेज के पास खडी मोटर साइकिल पर एक बैग टंगा हुआ था जिसमे 1,75,000/- रुपये व बैक के कागजात एव अन्य कागजात व दुकान की चाभी थी वह बैग हम दोनो ने मोटर साइकिल से चोरी कर लिया था। बैग व अन्य सामान हम दोनो ने थोडा आगे खडहरनुमा दुकानो में छिपा दिया था और चोरी किये 1,75,000/- रु आधे-आधे आपस मे बाट लिये थे। पकडे गये व्यक्ति सुधाकर ने बताया कि उन्ही पैसो मे से 14,000/- रुपये मेरे पास थे जो तलाश मे आपने ले लिये है शेष पैसे मैने खर्च कर लिये है तथा पकडे गये दूसरे व्यक्ति कृष्ण कुमार उर्फ मटरु ने बताया कि मोटर साइकिल के बैग से चोरी किये पैसो मे से 17,000/- रु मेरे पास थे जो आपने तलाशी मे ले लिये है। दोनो अभियुक्तगण से शेष बरामद रुपये एव बरामद सफेद धातु के पायलो के बारे में पुछने पर बताया कि साहब कुछ दिन पहले रात में यही पीछे सडक किनारे बसे गांव में हम दोनो ने एक घर मे चोरी की थी जिसमें 20,000/- रुपये एव 01 सोने की अंगूठी, 01 कमरबंद, पायल चांदी की 02 जोड़ी व बच्चो की पायल 03 जोड़ी चुराए थे। सोने की अंगूठी, कमरबांध व एक जोड़ी बच्चो की पायल हम लोगो ने राह चलते लोगो को बेच दी थी और उससे जो पैसा मिला था वह हमने अपने शौक में अपने ऊपर खर्च कर दिया और बाकी पैसे व जेवरात हम दोनो ने आधे-आधे बाट लिये थे। साहब गलती हो गयी है माफ कर दो।

अभियुक्त सुधाकर का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं-039/2023 धारा -2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।
2. मु0अ0सं-0746/2022 धारा -380/411/457 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद एटा

3. मु0अ0सं-0278/2022 धारा -380/457 भादवि थाना जैथरा जनपद एटा।
4. मु0अ0सं-0513/2020 धारा -380/457/411 भादवि थाना जैथरा जनपद एटा।
5. मु0अ0सं-163/2024 धारा -379/411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0स0-200/2024 धारा -300/331(4)/317(2) वीएनएस थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त कृष्णा कुमार उर्फ मटरु का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं-36/2022 धारा -429 भादवि व 51/9 वन जीव संरक्षण अधिनियम थाना जैथरा जनपद एटा।
2. मु0अ0सं-230/2022 धारा -379/411 भादवि थाना जैथरा जनपद एटा।
3. मु0अ0सं-248/2023 धारा -380/457 भादवि थाना जैथरा जनपद एटा।
4. मु0अ0सं-419/2021 धारा -379/411 भादवि थाना जैथरा जनपद एटा।
5. मु0अ0सं-163/2024 धारा -379/411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0स0-200/2024 धारा -300/331(4)/317(2) वीएनएस थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामद माल का विवरण:-

1. 02 जोडी पायल सफेद धातु
2. 02 जोडी पायल बच्चो की सफेद धातु
3. 01 कपडे का बैग
4. 04 चैक बुक
5. 01 गुच्छा चाभी का
6. 01 पैन 01 डायरी व 01 नोट बुक
7. 31,000 व 5,000 रुपये क्रमशः मु0अ0सं-163/2024 व मु0अ0सं-200/2024

गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री सतोष कुमार
3. उ0नि0 हेमन्त कुमार
4. हे0का0 कमल सिंह
5. का0 आदेश कुमार
6. का0 भूदेव
7. का0 बबलू पारछा

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 28.09.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 2 कि०ग्रा० अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रविन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा अभियुक्त इरफान उर्फ छोटू पुत्र सुलेमान निवासी मोहल्ला अस्तबल तराई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ के पास से 02 किलो ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. इरफान उर्फ छोटू पुत्र सुलेमान निवासी मोहल्ला अस्तबल तराई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 27.08.2024 को उ0नि0 श्री उदय सिंह व उ0नि0 श्री स्वदेश कुमार मय हमराह का0 सौरभ व का0 रोहित के साथ क्षेत्र में रोकथाम, जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी, चौकिंग सदिध वाहन/व्यक्ति में मौजूद थे कि जब हम गश्त कर रहे तो रोड के किनारे हाथ में थैला लिए एक व्यक्ति खडा मिला जो पुलिस गश्त को आता देखकर सकपका कर एकाएक एक तरफ भागने लगा । शक बदमाश होने पर उक्त भागे हुये व्यक्ति को हम पुलिसवालो ने कुछ ही दूरी पर पकड लिया और जामातलाशी ली गयी तो थैले से करीब 02 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार श्रीमान क्षेत्राधिकारी अमृतपुर को सूचना देकर आवश्यक पुलिस कार्यवाही करके अभियुक्त इरफान उपरोक्त को मौके से पुलिस हिरासत में लेकर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/2024 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया तथा प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त इरफान उर्फ छोटू पुत्र सुलेमान ने पूछने पर बताया कि साहब मैं सट्टे की खाईबाड़ी करता हूँ जिसमें मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं सट्टे की खाईबाड़ी कर रहा था तो थाना मऊदरवाजा पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। जिसके बाद मैं सट्टे का काम छोड़कर गांजा बेचने के लिये निकला था। कुछ गांजा बेच भी दिया कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया । साहब मुझे और कोई काम नहीं आता है। मैं इन्ही कामों से अपने परिवार का पेट पालता हूँ । गलती हो गयी माफ कर दीजिये अब आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इरफान उर्फ छोटू उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं. 1057/18 धारा 379/411 IPC थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं. 32/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं. 231/20 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं. 141/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0सं. 267/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0सं. 357/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
7. मु0अ0सं. 141/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
8. मु0अ0सं. 419/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
9. मु0अ0सं. 424/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
10. मु0अ0सं. 61/22 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
11. मु0अ0सं. 67/22 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
12. मु0अ0सं. 188/22 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
13. मु0अ0सं. 501/22 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

- 14.मु०अ०सं० 146/23 धारा 13 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 15.मु०अ०सं० 223/23 धारा 3/4 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 16.मु०अ०सं० 395/23 धारा 13 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 17.मु०अ०सं० 01/24 धारा 13 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 18.मु०अ०सं० 107/24 धारा 13 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 19.मु०अ०सं० 206/24 धारा 13 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 20.मु०अ०सं० 210/24 धारा 8/10 NDPS Act थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 किलो ग्राम गांजा
2. 650/-रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री भोलेन्द्र चतुर्वेदी
2. उ०नि० श्री उदय सिंह
3. उ०नि० श्री स्वदेश कुमार
4. आ० सौरभ
5. आ० रोहित

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 28.09.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 2 कि०ग्रा० अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रविन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा अभियुक्त इरफान उर्फ छोटू पुत्र सुलेमान निवासी मोहल्ला अस्तबल तराई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ के पास से 02 किलो ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. इरफान उर्फ छोटू पुत्र सुलेमान निवासी मोहल्ला अस्तबल तराई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 27.08.2024 को उ0नि0 श्री उदय सिंह व उ0नि0 श्री स्वदेश कुमार मय हमराह का0 सौरभ व का0 रोहित के साथ क्षेत्र में रोकथाम, जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी, चौकिंग सदिध वाहन/व्यक्ति में मौजूद थे कि जब हम गश्त कर रहे तो रोड के किनारे हाथ में थैला लिए एक व्यक्ति खडा मिला जो पुलिस गश्त को आता देखकर सकपका कर एकाएक एक तरफ भागने लगा । शक बदमाश होने पर उक्त भागे हुये व्यक्ति को हम पुलिसवालो ने कुछ ही दूरी पर पकड लिया और जामातलाशी ली गयी तो थैले से करीब 02 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार श्रीमान क्षेत्राधिकारी अमृतपुर को सूचना देकर आवश्यक पुलिस कार्यवाही करके अभियुक्त इरफान उपरोक्त को मौके से पुलिस हिरासत में लेकर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/2024 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया तथा प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त इरफान उर्फ छोटू पुत्र सुलेमान ने पूछने पर बताया कि साहब मैं सट्टे की खाईबाड़ी करता हूँ जिसमें मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं सट्टे की खाईबाड़ी कर रहा था तो थाना मऊदरवाजा पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। जिसके बाद मैं सट्टे का काम छोड़कर गांजा बेचने के लिये निकला था। कुछ गांजा बेच भी दिया कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया । साहब मुझे और कोई काम नहीं आता है। मैं इन्ही कामों से अपने परिवार का पेट पालता हूँ । गलती हो गयी माफ कर दीजिये अब आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इरफान उर्फ छोटू उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं. 1057/18 धारा 379/411 IPC थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं. 32/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं. 231/20 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं. 141/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0सं. 267/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0सं. 357/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
7. मु0अ0सं. 141/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
8. मु0अ0सं. 419/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
9. मु0अ0सं. 424/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
10. मु0अ0सं. 61/22 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
11. मु0अ0सं. 67/22 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
12. मु0अ0सं. 188/22 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
13. मु0अ0सं. 501/22 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

- 14.मु०अ०सं० 146/23 धारा 13 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 15.मु०अ०सं० 223/23 धारा 3/4 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 16.मु०अ०सं० 395/23 धारा 13 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 17.मु०अ०सं० 01/24 धारा 13 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 18.मु०अ०सं० 107/24 धारा 13 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 19.मु०अ०सं० 206/24 धारा 13 जुआ अधि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 20.मु०अ०सं० 210/24 धारा 8/10 NDPS Act थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 किलो ग्राम गांजा
2. 650/-रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री भोलेन्द्र चतुर्वेदी
2. उ०नि० श्री उदय सिंह
3. उ०नि० श्री स्वदेश कुमार
4. आ० सौरभ
5. आ० रोहित

मीडिया सेल फतेहगढ़।